

प्रेषक,

डा० गुरदीप सिंह,
सचिव,
बेसिक शिक्षा,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
उ०प्र०।

शिक्षा अनुभाग - 6

लखनऊ दिनांक: 30 मार्च, 2007

विषय: मध्यान्ह भोजन योजना में एन०पी०आर०सी० समन्वयक एवं बी०आर०सी० समन्वयक के कार्य निर्धारित किया जाना।

महोदय,

मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ रहे 1.86 करोड़ बच्चों को प्रतिदिन पका पकाया भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। यह अत्यन्त संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के और भी अधिक प्रभावी क्रियान्वयन हेतु एन०पी०आर०सी० समन्वयक तथा बी०आर०सी० समन्वयक को निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण से सम्बन्धित कार्य सौंपे जा रहे हैं। एन०पी०आर०सी० समन्वयक तथा बी०आर०सी० समन्वयक अपने कार्य क्षेत्र में स्थित विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना से सम्बन्धित निम्न बिन्दुओं के सम्बन्ध में उत्तरदायी होंगे:-

मध्यान्ह भोजन योजना में बी०आर०सी० समन्वयक एवं एन०पी०आर०सी० समन्वयकों की भूमिका:- मिड डे मील योजना को गति प्रदान करने हेतु जनपदों में नियुक्त बी०आर०सी० समन्वयक एवं एन०पी०आर०सी० समन्वयक मध्यान्ह भोजन योजना में सहयोग प्रदान करेंगे तथा निम्न कार्य हेतु उत्तरदायी होंगे:-

1. विद्यालय में भोजन का मीनू के अनुसार नियमित वितरण एवं भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करना तथा विद्यालय स्तर पर मध्यान्ह भोजन योजना से सम्बन्धित अभिलेखों का रख-रखाव ठीक प्रकार से हो रहा है, यह सुनिश्चित करना। विद्यालय के निरीक्षण के समय मध्यान्ह भोजन योजना से संबंधित अभिलेखों का निरीक्षण करना तथा निरीक्षण के दिन विद्यालय में मीनू के अनुरूप भोजन के वितरण, मात्रा एवं गुणवत्ता के सम्बन्ध में अभिलेखों में टिप्पणी अंकित करना।
2. निर्धारित प्रपत्र पर मध्यान्ह भोजन योजना से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं तैयार कर प्रेषित करना। एन०पी०आर०सी० समन्वयक अपनी न्याय पंचायत के समस्त विद्यालयों की सूचना बी०आर०सी० को माह की 03 तारीख तक उपलब्ध करायेगा। बी०आर०सी० समन्वयक एन०पी०आर०सी० समन्वयकों से उक्त सूचनाएं संकलित कर विकासखण्ड के सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी से हस्ताक्षरित कराकर माह की 05 तारीख तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायेगा।
3. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी बिन्दु संख्या-2 में वर्णित सूचनाओं को ब्लाक स्तरीय टास्क फोर्स के अध्यक्ष/एस०डी०एम० को भी उपलब्ध करायेंगे।

4. यदि विद्यालय स्तर पर मध्यान्ह भोजन के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में कोई समस्या है, तो उसका निराकरण करना अथवा उच्चाधिकारियों से सम्पर्क कर समस्या को समयान्तर्गत निस्तारित कराना।
5. दूरभाष नंबरों को अंकित कराया जाना:— विद्यालय की दीवारों पर अंकित मीनू के साथ सम्बन्धित तहसील के एस0डी0एम0, ब्लॉक के बी0डी0ओ0, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के फोन नं0/मोबाइल नं0 अंकित किए जाएं।

उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय तथा अनुपालन की स्थिति से शासन एवं निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0 को अगवत कराया जाय।

भवदीय,
ह0
(डा0 गुरदीप सिंह)
सचिव,

पृ0सं0: 429 (1)/79-6-2007/2006-07, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. समस्त आयुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त सहायक निदेशक, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0।

ह0
(रमेश चन्द्र घिल्डियाल)
संयुक्त सचिव